अध्याय I

अध्याय I

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

1.1 परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राज्य के पीएसईज) में राज्य शासन की कंपनियाँ और सांविधिक निगम शामिल हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए की गई थी। 31 मार्च 2023 तक, छत्तीसगढ़ में राज्य के 28 पीएसईज थे, जैसा कि नीचे ***तालिका 1.1*** में दिया गया है।

तालिका 1.1: 31 मार्च 2023 को राज्य के पीएसईज की कुल संख्या

राज्य के पीएसईज के प्रकार	कुल
सरकारी कंपनियाँ[1]	27
सांविधिक निगम[2]	01
कुल	**28**

(स्त्रोतः कम्पनी/निगम द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

31 मार्च 2023 तक, छत्तीसगढ़ में राज्य के 28 पीएसईज थे, जैसा कि ***परिशिष्ट 1*** में विस्तृत है, जिसमें 27 सरकारी कंपनियाँ और एक सांविधिक निगम[3] शामिल हैं। वर्ष के दौरान, कोई भी सरकारी कम्पनी भंग नहीं हुई, जबकि राज्य के दो पीएसईज[4] का विलय हुआ और कोई भी नई सरकारी कम्पनी भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र में नहीं आयी। एक राज्य पीएसई[5] राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में ऋण सूचीबद्ध था। छत्तीसगढ़ में राज्य के दो[6] पीएसईज निष्क्रिय हैं।

राज्य के 28 पीएसईज में से, 20 पीएसईज ने 30 सितंबर 2023 तक 2020–21, 2021–22 और 2022–23 की अवधि के लिए कम से कम एक लेखा को जमा किया था, जबकि एक कार्यरत राज्य पीएसई ने अपना पहला लेखा जमा नहीं किया था।

इस रिपोर्ट में राज्य के 20 पीएसईज का उनके नवीनतम अंतिम लेखों के आधार पर विस्तृत विश्लेषण शामिल है। इस रिपोर्ट में शामिल राज्य के 20 पीएसईज के नवीनतम अंतिम लेखों के आधार पर वित्तीय प्रदर्शन का सारांश ***तालिका 1.2*** में दिया गया है।

---

1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में उल्लेखित सरकारी कंपनियाँ।

2 संसद/राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियमित कानून के तहत स्थापित किसी भी निगम को सांविधिक निगम कहा जाता है।

3 छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम।

4 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड का विलय (जून 2022) में क्रमशः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड में हुआ।

5 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड।

6 छत्तीसगढ़ सोन्धिया कोल कम्पनी लिमिटेड और सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड।

तालिका 1.2: राज्य के कार्यशील पीएसईज के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश

विवरण	राज्य के पीएसईज की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
राज्य के पीएसईज की कुल संख्या	28	––
इस रिपार्ट में शामिल राज्य के पीएसईज	20	––
प्रदत्त पूँजी	20	6,915.97
दीर्घावधि ऋण	20	10,519.65
शुद्ध लाभ	10	879.22
शुद्ध हानि	07	1,143.10
शून्य लाभ/हानि	03	––
घोषित लाभांश	01	3.64
निवल मूल्य	20	745.27

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज के अद्यतन अंतिमिकृत लेखों के आधार पर संकलित)

क्रियाकलापों की प्रकृति के आधार पर, राज्य के इन 20 पीएसईज को पांच क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में टर्नओवर का प्रतिशत हिस्सा ***तालिका 1.3*** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.3: क्षेत्रवार टर्नओवर के साथ–साथ छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के पीएसईज के टर्नओवर की हिस्सेदारी

क्र. सं.	क्षेत्र के नाम	राज्य पीएसईज की संख्या	वर्ष के लिए टर्नओवर (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में टर्नओवर की प्रतिशत में हिस्सेदारी
1	विद्युत	4	28,048.36	6.13
2	अधोसंरचना	4	10.40	0.002
3	कृषि और उससे संबंधित उद्योग	2	678.55	0.15
4	सेवाएं	8	13,294.65	2.91
5	अन्य	2	140.77	0.03
योग		**20**	**42,172.73**	**9.22**

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज के अद्यतन अंतिमिकृत वित्तीय विवरणों से संकलित)

राज्य के इन 20 पीएसईज का टर्नओवर (₹ 42,172.73 करोड़) वर्ष 2022–23 के लिए छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ 4,57,608.26 करोड़) का 9.22 प्रतिशत था, जिसमें विद्युत क्षेत्र का योगदान 66.51 प्रतिशत था।

उपर्युक्त राज्य के पीएसईज में से दस ने 2022–23 में ₹ 879.22 करोड़ का संयुक्त लाभ अर्जित किया, राज्य के सात पीएसईज को (–) ₹ 1,143.10 करोड़ की हानि हुई। शेष राज्य के तीन पीएसईज को 2022–23 के दौरान कोई लाभ या हानि नहीं हुई।

1.2 जवाबदेही ढांचा

1 अप्रैल 2014 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में किसी कम्पनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। हालांकि, 1 अप्रैल 2014 से पहले शुरू हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में किसी कम्पनी की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 द्वारा शासित होती रहेगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 2(45) के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत चुकता पूंजी केंद्र और/या राज्य सरकारो के पास हो। किसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सरकारी कम्पनी की परिभाषा के अंतर्गत आती है। उक्त अधिनियम के तहत सरकारी कंपनियों के लेखापरीक्षा की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 139 और 143 के संबंधित प्रावधानों द्वारा शासित होती है।

1.2.1 वैधानिक लेखापरीक्षा

वैधानिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। एक वैधानिक निगम अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के मामले में, लेखापरीक्षा संबंधित विधानों के तहत नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जाती है और उसके बाद, सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

1.2.2 सरकार और विधानसभा की भूमिका

छत्तीसगढ़ शासन अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से राज्य के इन पीएसईज के मामलों पर नियंत्रण रखती है। राज्य के इन पीएसईज के बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधानसभा, राज्य के पीएसईज में सरकारी निवेश के लेखांकन और उपयोग की निगरानी भी करती है। इस उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार की कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट, वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर सीएजी की टिप्पणियों के साथ अधिनियम की धारा 394 के तहत विधानसभा के समक्ष रखी जानी होती है। इसी तरह, वैधानिक निगमों की वार्षिक रिपोर्ट, सीएजी की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ, उनके संबंधित शासी अधिनियमों के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार विधानसभा के समक्ष रखी जानी चाहिए। सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट, सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के तहत सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं।

1.3 छत्तीसगढ़ सरकार की हिस्सेदारी

राज्य के पीएसईज में राज्य सरकार की हिस्सेदारी तीन व्यापक श्रेणियों में आती है, अर्थात अंश पूंजी और ऋण, अनुदान और सब्सिडी के माध्यम से विशेष बजटीय सहायता और वित्तीय संस्थानों से राज्य के पीएसईज द्वारा लिए गए ऋणों की गारंटी।

- **अंश पूंजी और ऋण** – अंश पूंजी योगदान के अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन समय–समय पर राज्य के पीएसईज को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता** – छत्तीसगढ़ शासन आवश्यकतानुसार राज्य के पीएसईज को अनुदान और सब्सिडी के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करती है।
- **गारंटी** – छत्तीसगढ़ शासन वित्तीय संस्थानों से राज्य के पीएसईज द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज सहित पुनर्भुगतान की गारंटी भी देती है।

1.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.4.1 इक्विटी होल्डिंग एवं राज्य के पीएसईज को दिया गया ऋण

अद्यतन अंतिमिकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, 31 मार्च 2023 को समाप्त[7] हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए राज्य के 28 पीएसईज में इक्विटी और ऋण का निवेश ***तालिका 1.4*** में दिया गया है:

तालिका 1.4: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल इक्विटी निवेश एवं ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्त्रोत	31 मार्च 2021 की स्थिति में			31 मार्च 2022 की स्थिति में			31 मार्च 2023 की स्थिति में		
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग
राज्य सरकार	6,672.82	724.83	7,397.65	6,672.82	758.36	7,431.18	6,733.03	846.06	7,579.09
केन्द्र सरकार	25.42	292.78	318.20	25.42	158.89	184.31	35.22	130.97	166.19
अन्य	315.46	12,847.58	13,163.04	315.46	12,460.72	12,776.18	315.46	12,900.87	13,216.33
योग	**7,013.70**	**13,865.19**	**20,878.89**	**7,013.70**	**13,377.97**	**20,391.67**	**7,083.71**	**13,877.90**	**20,961.61**
कुल निवेश में राज्य सरकार का हिस्सा (प्रतिशत में)	95.14	5.23	35.43	95.14	5.67	36.44	95.05	6.10	36.16

(स्त्रोतः 30 सितंबर 2023 की स्थिति में प्राप्त अद्यतन वित्तीय विवरणों और राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित)

यह देखा गया है कि निवेश की प्रवृत्ति में सरकार के अलावा अन्य स्रोतों से लिए गए दीर्घकालिक ऋणों का प्रभुत्व है, जो कुल ऋण का 92.96 प्रतिशत है, जिसमें राज्य सरकार से लिए गए ऋण मात्र 6.10 प्रतिशत हैं। राज्य के इन पीएसईज के लिए ऋण से इक्विटी का अनुपात 1.96 था।

चार्ट 1.1 राज्य के पीएसईज में निवेश

(₹ करोड़ में)

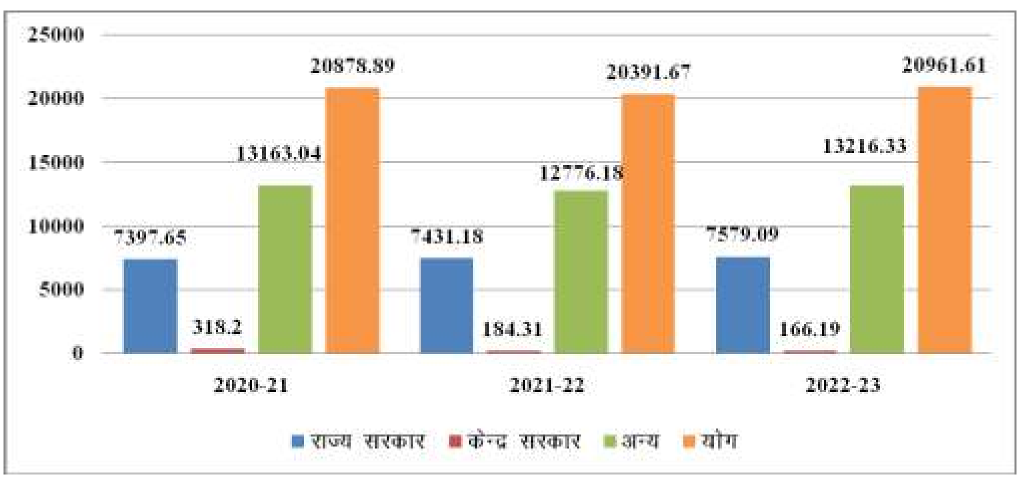

7 राज्य पीएसईज के आंकड़े 2022–23 से पहले के उनके वित्तीय विवरणों से लिए गए थे क्योंकि 25 पीएसईज ने वर्ष 2022–23 के लिए अपने लेखों को अंतिमिकृत नहीं किया था।

1.5 वर्ष के दौरान विशेष सहायता एवं प्रतिफल

1.5.1 केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी, अनुदान और गारंटी पर जानकारी

छत्तीसगढ़ शासन वार्षिक बजट के माध्यम से अनुदान और सब्सिडी के रूप में राज्य के पीएसईज को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ शासन, राज्य के पीएसईज द्वारा लिये गए ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करती है, जिसके लिए वह आधे प्रतिशत तक की दर से गारंटी कमीशन लेती है। राज्य के पीएसईज के अद्यतन अंतिमिकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गारंटीकृत कुल अधिकतम राशि ₹ 9,084.44 करोड़ थी और 31 मार्च 2023 तक राज्य के पीएसईज के लिए बकाया गारंटी ₹ 4,911.43 करोड़ थी। इसके अलावा, राज्य के पीएसईज को ₹ 9,740.33 करोड़ का अनुदान दिया गया। राज्य के पीएसईज को दी गई सब्सिडी, अनुदान और गारंटी का विवरण ***तालिका 1.5*** में दिया गया है:

तालिका 1.5: राज्य के पीएसईज को बजटीय सहायता से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं. स.	विवरण	2020–21		2021–22		2022–23	
		राज्य के पीएसईज की संख्या	राशि	राज्य के पीएसईज की संख्या	राशि	राज्य के पीएसईज की संख्या	राशि
(i)	प्रदाय अनुदान/सब्सिडी	9	8,445.74	10	7,226.58	10	9,740.33
(ii)	बकाया गांरटी	2	3,426.34	3	3,314.65	3	4,911.43
(iii)	गांरटी प्रतिबद्धता	3	6,682.28	3	11,907.28	3	9,084.44

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

1.6 लेखों को अंतिमीकृत करने में बकाया

अधिनियम की धारा 96(1) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों के वित्तीय विवरणों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर अर्थात् सितंबर माह के अंत तक अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने पर अधिनियम की धारा 99 के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं। इसी तरह, वैधानिक निगमों के मामले में, उनके लेखों को अंतिमीकृत कर, उनकी लेखापरीक्षा की जाती है और उनके संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधानसभा को प्रस्तुत किया जाता है।

तालिका 1.6 में 30 सितंबर 2023 की स्थिति में लेखों को अंतिमीकृत करने में राज्य के पीएसईज द्वारा की गई प्रगति का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.6: राज्य के पीएसईज के लेखों के अंतिमिकरण की स्थिति

क्रं. स.	विवरण	2022–23
1.	राज्य के पीएसईज की संख्या	28
2.	वर्ष के दौरान अंतिमिकृत लेखों की संख्या	21
3.	बकाया लेखों की संख्या	47
4.	राज्य के पीएसईज की संख्या जिनके लेखें बकाया थे	25
5.	बकाया सीमावधि (वर्ष में)	01 से 06

(स्त्रोतः अद्यतन अंतिमिकृत लेखों और राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संकलित)

प्रशासनिक विभागों पर राज्य के पीएसईज की गतिविधियों की निगरानी करने की जिम्मेदारी होती है। संबंधित प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार थे कि राज्य के पीएसईज निर्धारित अवधि के भीतर अपने लेखों को अंतिम रूप दें और स्वीकृत करें। राज्य के पीएसईज द्वारा लेखों को प्रस्तुत करने में अधिक बकाया को देखते हुए, महालेखाकार (एजी) द्वारा शासन और संबंधित प्रशासनिक विभागों के साथ राज्य के पीएसईज के लेखों के बकाये को समाप्त करने के लिए नियमित रूप से मामले को उठाया गया था। हालांकि, सितंबर 2023 तक, राज्य के 25 पीएसईज के पास छह साल तक की बकाया अवधि वाले 47 लेखों का बैकलॉग था, जो कि उल्लेखनीय था एवं ***परिशिष्ट 2*** में दर्शाया गया है।

1.7 बकाया लेखों का प्रभाव

लेखों के अंतिमिकरण में देरी से संबंधित कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के खोने का जोखिम होता है। ***कंडिका 1.6***, के तहत बताए गए लेखों के बकाया की स्थिति को देखते हुए, वर्ष 2022–23 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में राज्य के पीएसईज का वास्तविक योगदान सुनिश्चित नहीं किया जा सका और राज्य के खजाने में उनके योगदान को राज्य विधानसभा को प्रतिवेदित नही किया जा सका।

छत्तीसगढ़ शासन यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य के सभी पीएसईज लेखों के अंतिमिकरण एवं प्रस्तुतीकरण के लिए वैधानिक समय सीमा का पालन करें, एक मजबूत निगरानी और जवाबदेही प्रणाली लागू कर सकती है जिससे इन संगठनों के भीतर पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन का पोषण हो सके।

1.8 अद्यतन अंतिमीकृत लेखें के आधार पर राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन

1.8.1 राज्य के पीएसईज द्वारा अर्जित लाभ

इस रिपोर्ट में शामिल राज्य के 20 पीएसईज में से, 10 पीएसईज ने 2022–23 में ₹ 879.22 करोड़ का संयुक्त लाभ अर्जित किया, जबकि 2021–22 में राज्य के 10 पीएसईज ने ₹ 863.06 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। लाभ में वृद्धि होने का मुख्य कारण छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का लाभ ₹ 36.49 करोड़ (2021–22) से बढ़कर ₹ 52.65 करोड़ (2022–23) हो जाना था। राज्य के शीर्ष तीन पीएसईज ने 2022–23 में कुल लाभ में 85.47 प्रतिशत का योगदान दिया। विवरण ***चार्ट 1.2*** में दिया गया है:

चार्ट 1.2 राज्य के शीर्ष पीएसईज जिन्होंने लाभ में अधिकतम योगदान दिया

(₹ करोड़ में)

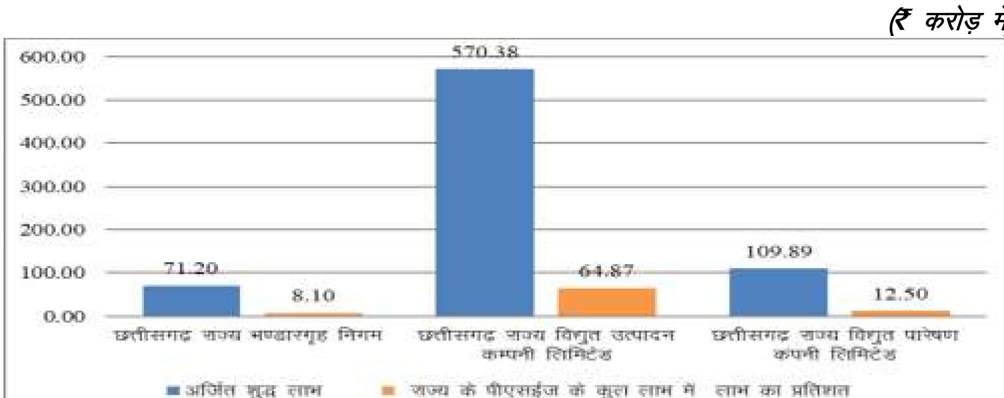

(स्त्रोत: राज्य के पीएसईज के अद्यतन अंतिमिकृत लेखों के आधार पर संकलित)

1.8.2 राज्य के पीएसईज द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

छत्तीसगढ़ शासन ने ऐसी कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है जिसके तहत सभी लाभ कमाने वाले राज्य के पीएसईज को लाभांश के रूप में लाभ का एक न्यूनतम प्रतिशत भुगतान करना आवश्यक हो।

राज्य के 20 पीएसईज में से, 16 में राज्य सरकार की इक्विटी थी। राज्य के इन 16 पीएसईजं से संबंधित लाभांश भुगतान, जहां इस अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इक्विटी निवेश की गई थी, को ***तालिका 1.7*** में दिखाया गया है।

तलिका 1.7: राज्य पीएसईज का लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य के कुल पीएसईज				लाभांश भुगतान प्रतिशत में
	जिन्होंने लाभ अर्जित किया		जिन्होंने लाभांश घोषित/भुगतान किया		
1	2	3	4	5	6=5*100/3
2020–21	8	539.88	2	3.84	0.71
2021–22	10	864.67	2	1.15	0.13
2022–23	9[8]	879.15	1	3.64	0.41

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य सरकार की इक्विटी वाले राज्य के 16 पीएसईज में से नौ पीएसईज ने ₹ 879.15 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया। राज्य के केवल एक पीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने वर्ष 2021–22 के लिए ₹ 3.64 करोड़ का लाभांश भुगतान वर्ष 2022–23 में किया।

1.8.3 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) किसी कम्पनी की लाभप्रदता और उसकी पूँजी के उपयोग की दक्षता को मापता है। आरओसीई की गणना किसी कम्पनी की ब्याज और करों से पहले की आय को नियोजित पूँजी[9] से विभाजित करके की जाती है। 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान चयनित राज्य के पीएसईज के आरओसीई का विवरण ***तालिका 1.8*** में दिया गया है।

तालिका 1.8: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष	राज्य के पीएसईज की संख्या	ब्याज और करों से पहले की आय	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
सरकारी कंपनियाँ					
लाभ अर्जित करने वाले	2020–21	8	1,375.64	14,763.55	9.32
	2021–22	10	1,915.29	15,386.52	12.45
	2022–23	9	1,929.58	14,777.65	13.06

---

[8] केरवा कोल लिमिटेड को लाभ अर्जित करने वाले राज्य पीएसइज से बाहर रखा गया है क्योंकि इसमें जीओसीजी की इक्विटी नहीं हैं।

[9] नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंशपूँजी + मुक्त आरक्षित और अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानियाँ – आस्थिगत राजस्व व्यय।

हानि वहन करने वाले	2020–21	10	317.48	–2,220.04	–14.30
	2021–22	8	–798.54	–3,090.27	25.84
	2022–23	7	–360.45	–4,425.73	8.14
कोई भी लाभ/हानि नही वाले	2020–21	3	0.00	201.54	0.00
	2021–22	3	0.00	202.12	0.00
	2022–23	3	0.00	202.12	0.00
सांविधिक निगम					
लाभ अर्जित करने वाले	2020–21	1	187.24	575.92	32.51
	2021–22	1	105.86	651.40	16.25
	2022–23	1	105.86	651.40	16.25
हानि वहन करने वाले	2020–21	––	––	––	––
	2021–22	––	––	––	––
	2022–23	––	––	––	––
कोई भी लाभ/हानि नही वाले	2020–21	––	––	––	––
	2021–22	––	––	––	––
	2022–23	––	––	––	––
कुल	**2020–21**	**22**	**1,880.36**	**13,320.97**	**14.12**
	2021–22	**22**	**1,222.61**	**13,149.77**	**9.30**
	2022–23	**20**	**1,674.99**	**11,205.44**	**14.95**

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज के अद्यतन वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित)

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, राज्य के 20 पीएसईज में आरओसीई 2020–21 में 14.12 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 में 14.95 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा, राज्य के 20 पीएसईज में से 11 (जैसा कि ***परिशिष्ट 3*** में विस्तृत है), जो स्वयं राजस्व अर्जित करते हैं और वाणिज्यिक लाइनों पर चलते हैं, का आरओसीई वर्ष 2022–23 के लिए सकारात्मक (13.32 प्रतिशत) था। राज्य के शेष छह पीएसईज, जो सभी गैर–विद्युत क्षेत्र से संबंधित हैं, का आरओसीई वर्ष 2022–23 के लिए नकारात्मक (58.73 प्रतिशत) था। राज्य के शेष तीन पीएसईज का आरओसीई 2022–23 के दौरान शून्य था।

1.8.4 वहन की गयी हानियाँ

मार्च 2023 के अंत में अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य के 20 पीएसईज में से सात पीएसईज को हानि वहन करनी पड़ी। राज्य के इन पीएसईज द्वारा 2020–21 मे वहन हानि (–) ₹ 433.14 करोड़ 2022–23 में बढ़कर (–) ₹ 1,143.10 करोड़ हो गयी, जैसा कि नीचे ***तालिका 1.9*** में दिया गया है:

तालिका 1.9: 2020–21 से 2022–23 के दौरान हानियाँ वहन करने वाले राज्य के पीएसईज की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हानि में चल रहे राज्य के पीएसईज की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि	संचित हानि	निवल मूल्य[10]
सरकारी कंपनियाँ				
2020–21	10	–433.14	–7,907.89	–5,551.95
2021–22	08	–1,226.97	–8,921.68	–5,948.87
2022–23	07	–1,143.10	–10,034.72	–7,061.91

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज के अद्यतन वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित)

वर्ष 2022–23 में, राज्य के सात पीएसईज द्वारा वहन किए गए कुल ₹ 1,143.10 करोड़ के हानि में से, मुख्य हिस्सा ₹ 1,132.72 करोड़ का अर्थात् 99.09 प्रतिशत का योगदान एक विद्युत क्षेत्र के राज्य पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड) का है। इसके अलावा, राज्य के इन पीएसईज में निवेश का विवरण नीचे ***तालिका 1.10*** में दिया गया है:

तालिका 1.10: राज्य के पीएसईज में निवेश जिन्होंने 2022–23 में हानियाँ वहन की

(₹करोड़ में)

क्रं. स.	कंपनियों/ निगम का नाम	प्रदत्त अंशपूँजी				दीर्घावधि ऋण				कर के पश्चात् निवल लाभ
		छत्तीसगढ़ शासन	भारत सरकार	अन्य	कुल	छत्तीसगढ़ शासन	भारत सरकार	अन्य	कुल	
सरकारी कंपनियाँ										
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2,886.54	0.00	0.00	2,886.54	64.10	130.97	1,576.61	1,771.68	–1,132.72
2	छत्तीसगढ़ सडक एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	4.90	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	1,598.68	1.598.68	–0.57
3	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	558.27	558.27	–7.91
4	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	–0.01
5	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड	37.22	34.30	0.00	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	–1.66
6	छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–0.14
7	छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–0.09
	योग	**2,934.86**	**34.30**	**4.00**	**2,973.16**	**64.10**	**130.97**	**3,733.56**	**3,928.63**	**–1,143.10**

(स्त्रोतः राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अद्यतन वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित)

10 निवल मूल्य = प्रदत्त अंशपूँजी+मुक्त आरक्षित और अधिशेष–(संचित हानियां + आस्थिगत राजस्व व्यय)।

31 मार्च 2023 की स्थिति में, हानि वहन करने वाले राज्य के सात पीएसईजं में कुल निवेश ₹ 6,901.79 करोड़ था, जिसमें 43.08 प्रतिशत अंशपूँजी (₹ 2,973.16 करोड़) और 56.92 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण (₹ 3,928.63 करोड़) शामिल थे। कुल निवेश में से, पूंजी और दीर्घकालिक ऋण के रूप में छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 2,998.96 करोड का निवेश किया। भारत सरकार और अन्य स्रोतों द्वारा ₹ 3,902.83 करोड़ का निवेश जुटाया गया।

1.8.5 राज्य के पीएसईज में निवल मूल्य का क्षरण

निवल मूल्य प्रदत्त पूँजी और मुक्त संचय तथा आधिक्य के कुल योग में से संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने के बाद प्राप्त होता है। वास्तव में यह इस बात का माप है कि मालिकों के लिए इकाई का मूल्य क्या है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि अशंधारकों द्वारा किया गया समस्त निवेश संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है।

31 मार्च 2023 की स्थिति में, राज्य के 20 पीएसईज में से पांच पीएसईज ऐसे थे जिनकी संचित हानि ₹ 10,252.86 करोड़ थी। राज्य के इन पांच पीएसईज में से चार पीएसईज को 2022–23 के दौरान ₹ 1,134.61 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी और एक पीएसई को कोई हानि नहीं हुई, भले ही अद्यतन अंतिम लेखों के अनुसार उसे ₹ 184.71 करोड़ की संचित हानि है। राज्य के 20 पीएसईज में से, 12 पीएसईज के पास ₹ 4,013.84 करोड़ का अधिक्य है और तीन पीएसईज के पास न तो संचित हानि थी और न ही अधिक्य, जैसा कि उनके अद्यतन लेखें से ज्ञात होता है।

राज्य के पांच पीएसईज जिनमें संचित हानि थी, उनमें से अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) द्वारा वहन किए गए ₹ 10,057.33 करोड़ (98.09 प्रतिशत) हानि के कारण थे। हालांकि, सीएसपीडीसीएल की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती क्योंकि यह एकाधिकार वातावरण में काम करती है और राजस्व वसूली विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि इसके कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि में कमी, सेक्टर नियामक अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) के निर्णय, परिचालन दक्षता आदि।

तालिका 1.11: राज्य के पीएसईज का विवरण जिनका निवल मूल्य उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार क्षरित हो गया है

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	राज्य के पीएसईज का नाम	अद्यतन वर्ष जिनमें लेखें अंतिमीकृत हुए	कुल प्रदत्त पूँजी	ब्याज, कर और लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	संचित हानि	निवल मूल्य	31 मार्च 2023 की स्थिति में राज्य सरकार की पूँजी	31 मार्च 2023 की स्थिति में राज्य सरकार का ऋण
1	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2021–22	4.43	20.64	(-)184.71	(-)179.33	4.43	0.00
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2022–23	2886.54	(-)1132.72	(-)10057.33	(-)7149.62	2,886.54	64.10
योग			**2,890.97**	**(-)1,112.08**	**(-)10,242.04**	**(-)7,328.95**	**2,890.97**	**64.10**

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज के अद्यतन वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित)

संचित हानि वाले राज्य के पांच पीएसईज में से उपर्युक्त दो पीएसईज का निवल मूल्य संचित हानि से पूरी तरह क्षरण हो चुकी थी और उनकी निवल मूल्य नकारात्मक थी। 31 मार्च 2023 की स्थिति में इन दो पीएसईज के पूँजी निवेश ₹ 2,890.97 करोड़ के विरूद्ध निवल मूल्य (–) ₹ 7,328.95 करोड़ थी। राज्य के इन दो पीएसईज की, 31 मार्च 2023 की स्थिति में राज्य सरकार के बकाया ऋण की राशि ₹ 64.10 करोड़ थी।

1.9 सीएजी की निगरानी भूमिका का परिणाम

1.9.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत राज्य के पीएसईज के लेखें की लेखापरीक्षा

30 सितंबर 2023 की स्थिति में, राज्य के तीन पीएसईज ने वर्ष 2022–23 के लिए अपने लेखें प्रस्तुत किए। इसके अलावा, राज्य के 17 पीएसईज ने 2018–19 से 2021–22 तक के पिछले वर्षों के 18 लेखें प्रस्तुत किए।

इस अवधि (अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023) के दौरान प्राप्त 21 लेखें में से, 14 लेखें के संबंध में पूरक लेखापरीक्षा कर और सीएजी की टिप्पणियों को जारी किया गया है और दो लेखों के लिए गैर–समीक्षा प्रमाण पत्र (एनआरसी) जारी किया गया। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2022 की शुरुआत में तीन लेखें लंबित थे, उन्हे भी अंतिम रूप दे दिया गया (दो लेखें के संबंध में अंतिम टिप्पणियाँ जारी की गईं जबकि एक लेखा के लिए शून्य टिप्पणी जारी की गई)। इस प्रकार, पांच लेखे (अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान प्राप्त 21 में से) विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन थे। इसलिए, 16 वित्तीय विवरणों के संबंध में अंतिम टिप्पणियाँ जारी की गईं (जैसा कि ***परिशिष्ट 4*** में विस्तृत है), जबकि एक वित्तीय विवरण के लिए शून्य टिप्पणियाँ जारी की गईं।

1.9.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में सीएजी द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

वर्ष 2022–23 के लिए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा तथा 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त पिछले वर्षों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने रिपोर्टिंग अवधि (अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023) के दौरान प्राप्त राज्य के 13 पीएसईज के 14 वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों में जैसा कि ***परिशिष्ट 5*** में विस्तृत है। इन टिप्पणियों का लाभप्रदता पर वित्तीय प्रभाव ₹ 1,194.79 करोड़ तथा परिसंपत्तियों/देनदारियों पर प्रभाव ₹ 1,231.80 करोड़ था।

1.10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण और ऊर्जा क्षेत्र में कोई सुधार

वर्ष 2022–23 के दौरान, न तो राज्य के किसी पीएसईज का विनिवेश किया गया और न ही किसी पीएसईज का कोई निजीकरण किया गया। वर्ष 2022–23 के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड का क्रमशः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के साथ विलय (जून 2022) किया गया, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है।

1.11 कॉर्पोरेट प्रशासन

कॉर्पोरेट प्रशासन सरकारी कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांतों के पालन से संबंधित है। सरकारी कंपनियों के निदेशक मंडल (बीओडी) में स्वतंत्र निदेशकों/महिला निदेशकों की नियुक्ति, निदेशक मंडल और उसके तहत गठित समितियों की बैठकों में उनकी उपस्थिति, निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन आदि से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

1.11.1 प्रस्तावना

कॉर्पोरेट प्रशासन ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों, शेयरधारकों, बैंकरों और बड़े पैमाने पर समाज सहित विभिन्न हितधारकों के विश्वास का निर्माण करने पर केंद्रित है। एक कम्पनी कॉर्पोरेट प्रशासन के नियमों, प्रथाओं और प्रक्रिया की एक प्रणाली के साथ निर्देशित और नियंत्रित होती है। इसके अलावा, किसी भी राज्य पीएसई का कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचा चार स्तंभों पर निर्भर करता है अर्थात् पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटीकरण, स्वतंत्र निगरानी और सभी के लिए निष्पक्षता। कॉर्पोरेट प्रशासन का पालन करने से व्यवसाय में जवाबदेही और पारदर्शिता आती है और हितधारकों का विश्वास बढ़ता है।

1.11.2 कम्पनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) को 29 अगस्त 2013 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के स्थान पर अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन और प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता, बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियों और खातों पर कम्पनी नियम, 2014 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित (मार्च 2014) किया गया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाए गए नियम कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। अन्य बातों के साथ–साथ आवश्यकताओं में निम्नलिखित शामिल हैं: स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यताएँ तथा व्यावसायिक आचरण के लिए कर्तव्य और दिशा–निर्देश (अधिनियम की धाराएँ 149 (6) और (8) तथा अनुसूची IV को कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ें।

निर्धारित कंपनियों के बोर्ड में एक महिला–निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति {अधिनियम की धारा 149(1)}। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति {धारा (135)}, लेखा परीक्षा समिति {धारा 177(1)}, नामांकन और पारिश्रमिक समिति {धारा 178(1)}, तथा हितधारक संबंध समिति {धारा 178(5)} जैसी कुछ समितियों की अनिवार्य स्थापना।

निदेशक मंडल की प्रत्येक वर्ष कम से कम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित करना कि बोर्ड की दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो {अधिनियम धारा 173(1)}।

1.11.3 कॉर्पोरेट प्रशासन पर भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के दिशा निर्देश

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के बाद, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 को अधिसूचित (2 सितंबर 2015) किया, जो पहले के प्रावधानों को निरस्त करते हुए 1 दिसंबर 2015 से प्रभावी हो गया।

मार्च 2023 की स्थिति में, राज्य के 26 पीएसईज में से केवल एक अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में ऋण सूचीबद्ध थी। सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की धारा 15(1)(ए) के अनुसार अध्याय IV के विनियम 16 से विनियम 27 के प्रावधान एक सूचीबद्ध इकाई पर लागू होंगे, जिसने अपनी गैर–परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया है और सूचीबद्ध गैर–परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों का बकाया मूल्य पाँच सौ करोड़ रुपये और उससे अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड की सूचीबद्ध गैर–परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों का बकाया मूल्य मार्च 2022 की स्थिति में ₹ 500 करोड़ (अर्थात् ₹ 437.12 करोड़) से कम था, इसलिए उसे कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अध्याय IV में निहित प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी।

1.11.4 छत्तीसगढ़ के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन प्रावधानों पर अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च 2023 की स्थिति में, छत्तीसगढ़ में 27 पीएसईज थे जो सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत थे। इनमें से एक राज्य पीएसई[11] जिसने शुरू से ही अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं, इसे विश्लेषण से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, इस रिपोर्ट में शामिल राज्य के 26 पीएसई में से एक पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऋण सूचीबद्ध है और एक राज्य पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड) निजी कम्पनी है। अभिलेखों की जांच के दौरान, कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए विभिन्न नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में टिप्पणियों पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

1.12 निदेशक मंडल की संरचना

बोर्ड निर्वाचित या नियुक्त व्यक्तियों का एक सामूहिक निकाय है जो प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनाने और संगठन की गतिविधियों की देखरेख करने के लिए नियमित अंतराल पर मिलते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (10) के अनुसार, किसी कम्पनी के संबंध में 'निदेशक मंडल' या 'बोर्ड' का अर्थ कम्पनी के निदेशकों का सामूहिक निकाय है।

[11] छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

1.12.1 स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति, जो प्रबंधन के निर्णयों पर स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने में सक्षम हों, को व्यापक रूप से शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा के साधन के रूप में माना जाता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्धारित करती है कि किसी कम्पनी के संबंध में स्वतंत्र निदेशक का अर्थ प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या नामित निदेशक के अलावा कोई निदेशक से है और वह ईमानदार व्यक्ति है और उसके पास प्रासंगिक विशेषज्ञता और अनुभव है। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशक न तो स्वयं प्रमोटर होगा और न ही कम्पनी या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कम्पनी के प्रमोटरों/निदेशकों से संबंधित होगा। स्वतंत्र निदेशक स्वयं या उसके रिश्तेदारों की कम्पनी, या उसकी सहायक कम्पनी, या उसकी होल्डिंग या सहयोगी कम्पनी के साथ मौद्रिक सीमाओं से परे और इस खंड में निर्धारित अवधि के दौरान कोई आर्थिक संबंध/लेनदेन (स्वतंत्र निदेशक के पारिश्रमिक के अलावा) नहीं होगा। स्वतंत्र निदेशक स्वयं या उसके रिश्तेदार इस खंड में निर्धारित समय सीमा के दौरान कम्पनी या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कम्पनी के साथ प्रमुख प्रबंधकीय पद या कोई अन्य निर्धारित संबंध जैसे कर्मचारी, लेखा परीक्षक, कम्पनी सचिव आदि नहीं रखेंगे।

अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी में निदेशकों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई[12] स्वतंत्र निदेशक होंगे। इसके अलावा, कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4(1)[13] के अनुसार, सार्वजनिक कंपनियों की (i) चुकता शेयर पूँजी दस करोड़ रुपये या उससे अधिक है; या (ii) का कारोबार एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है; या (iii) जिनके पास कुल बकाया ऋण, डिबेंचर और जमा राशि पचास करोड़ रुपये से अधिक है, उनमें कम से कम दो निदेशक, स्वतंत्र निदेशक होंगे।

इसके अलावा, इस नियम के अंतर्गत आने वाली कम्पनी को एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करना भी आवश्यक है। ऐसी लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक होंगे, जिसमें स्वतंत्र निदेशक अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) के अनुसार बहुमत में होंगे।

नियम में आगे यह भी प्रावधान है कि जहां कोई कम्पनी लगातार तीन वर्षों तक तीन शर्तों में से किसी एक को पूरा करना बंद कर देती है, तो उसे इन प्रावधानों का अनुपालन तब तक करने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि वह ऐसी किसी भी शर्त को पूरा नहीं कर लेती।

इसके अलावा, नियम 4(2) के अनुसार, गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी के तीन वर्गों अर्थात् संयुक्त उद्यम या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी या निष्क्रिय कम्पनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

राज्य के पीएसईज से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य के 25 पीएसईज में से 12, जो सार्वजनिक कंपनियां थीं, को वर्ष 2022–23 के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 और नियम 4 के प्रावधानों के अनुपालन करने में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता थी।

निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा के आधार पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य के केवल एक पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड) में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक थे, जैसा कि ***तालिका 1.12*** में दिया गया है।

[12] इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी एक–तिहाई संख्याओं में अंतर्विष्ट को कोई भिन्न एक के रूप में पूर्णांकित की जाएगी।

[13] इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, चुकता शेयर पूँजी या टर्नओवर या बकाया ऋण, डिबेंचर और जमाराशियों को अद्यतन लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की अंतिम तिथि को, हिसाब में लिया जाएगा।

तालिका 1.12: स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की स्थिति

विवरण	2022–23 के दौरान
राज्य के पीएसईज की संख्या जिन्हें स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करना अपेक्षित है	12
राज्य के पीएसईज की संख्या जहाँ अपेक्षित संख्या मे स्वतंत्र निदेशक है	01
राज्य के पीएसईज की संख्या जिनके पास कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है	11

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संकलित)

1.12.2 बोर्ड में महिला निदेशक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) को कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए तो कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान (i) प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी में; या (ii) प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कम्पनी जिनकी (अ) चुकता शेयर पूँजी ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक है; या (ब) कारोबार ₹ 300 करोड़ या उससे अधिक है। इसके अलावा, महिला निदेशक की किसी भी अतंराल पर होने वाली रिक्ति को बोर्ड द्वारा जल्द से जल्द लेकिन तत्काल अगली बोर्ड बैठक या ऐसी रिक्ति की तारीख से तीन महीने बाद जो भी बाद में हो, भरा जाएगा।

राज्य के पीएसईज से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2022–23 के दौरान राज्य के आठ पीएसईज को महिला निदेशकों की नियुक्ति करनी थी। राज्य के इन आठ पीएसईज में से, छह पीएसईज में पूरे वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कम से कम एक महिला निदेशक थीं, जैसा कि ***तालिका 1.13*** में दिया गया है।

तालिका 1.13: 2022–23 के दौरान कम से कम एक महिला निदेशक का राज्य के पीएसईज में होना

क्र. स.	राज्य के पीएसई का नाम
1	छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
6	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संकलित)

शेष दो पीएसईज में, 31 मार्च 2023 की स्थिति में महिला निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई थी, जैसा कि नीचे दी गई ***तालिका 1.14*** में दिया गया है।

तालिका 1.14: 2022–23 के दौरान महिला निदेशक का राज्य के पीएसईज में न होना

क्र. स.	राज्य के पीएसई का नाम
1	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संकलित)

1.13 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली

1.13.1 औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी करना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति शेयरधारकों की बैठक (आम बैठक) में अनुमोदित की जाएगी। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति औपचारिक नियुक्ति पत्र के माध्यम से की जाएगी, जिसमें नियुक्ति की शर्तें और नियम निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें और नियम कम्पनी की वेबसाइट पर भी पोस्ट किए जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य के एक पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड) जिसके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक थे, ने स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति का औपचारिक पत्र जारी नहीं किया। इसके अतिरिक्त, निर्धारित दिशा–निर्देशों के विपरीत, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें न तो कम्पनी के रिकॉर्ड और आधिकारिक वेबसाइट पर पाई गईं और न ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गईं।

1.13.2 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV पैरा (III) (1), (स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को उचित परिचयात्मक प्रशिक्षण से गुजरना होगा और नियमित रूप से अपने कौशल, ज्ञान और कम्पनी के साथ परिचितता को अद्यतन और ताजा करना होगा।

जैसा कि ऊपर ***कंडिका 1.12.1*** में कहा गया है, राज्य के एक पीएसई ने अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की। राज्य पीएसई से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान इसने अपने बोर्ड में शामिल जो स्वतंत्र निदेशकों थे को प्रशिक्षण नहीं दिया है।

1.13.3 कम्पनी की बोर्ड बैठकों, बोर्ड समितियों की बैठकों और आम बैठकों में भाग लेना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV पैरा (III) (3), (स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य) में प्रावधान है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों की सभी बैठकों में उपस्थित रहने का प्रयास करना चाहिए, जिनके वे सदस्य हैं।

1.13.3.1 बोर्ड की बैठकें

जैसा कि ऊपर ***कंडिका 1.12.1*** में बताया गया है, केवल एक राज्य पीएसई ने आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य पीएसई के निदेशक मंडल की दो बैठकों में से सभी स्वतंत्र निदेशकों ने दोनों बैठकों में भाग लिया।

1.13.3.2 बोर्ड समितियों की बैठक

लेखापरीक्षा समिति – अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों वाले एकमात्र राज्य पीएसई से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022–23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकें[14] आयोजित की गईं, जिनमें सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

1.13.3.3 आम बैठकें

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV पैरा (III)(5) में कहा गया है कि स्वतंत्र निदेशक कम्पनी की आम बैठकों में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक रखने वाले

[14] लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकें 4थी (06 अप्रैल 2022) और 5वी (12 दिसंबर 2022)।

एकमात्र राज्य पीएसई से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य पीएसई की वार्षिक आम बैठकों[15] में सभी स्वतंत्र निदेशकों द्वारा भाग लिया।

1.13.3.4 स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV पैरा (VII)(1), (स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठकें) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करनी होगी, जिसमें गैर–स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति नहीं होगी। इसके अलावा, कम्पनी के सभी स्वतंत्र निदेशक गैर–स्वतंत्र निदेशकों और समग्र रूप से बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए ऐसी बैठकों में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन की भी समीक्षा की जाएगी।

राज्य पीएसई से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिसके बोर्ड में वर्ष 2022–23 के दौरान स्वतंत्र निदेशक थे, वर्ष 2022–23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के द्वारा अलग से बैठक आयोजित नहीं की गयी।

1.14 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पद को भरना

अधिनियम, 2013 की धारा 203(1) में प्रावधान है कि निर्धारित वर्ग या कंपनियों के वर्गों से संबंधित प्रत्येक कम्पनी में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक होंगे, अर्थात (i) प्रबंध निदेशक, या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंधक और उनकी अनुपस्थिति में, एक पूर्णकालिक निदेशक; (ii) कम्पनी सचिव; और (iii) मुख्य वित्तीय अधिकारी।

इसके अलावा, कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी और ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक की चुकता शेयर पूंजी वाली प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कम्पनी में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक होने चाहिए। अधिनियम 2013 की धारा 203(4) में आगे प्रावधान किया गया है कि यदि किसी पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पद रिक्त होता है, तो परिणामी रिक्ति को बोर्ड द्वारा, ऐसी रिक्ति की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर बोर्ड की बैठक में भरा जाएगा।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक चुकता पूंजी वाले आठ पीएसईज थे। इसलिए, इन कंपनियों को पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्त करना आवश्यक था। इन आठ पीएसईज में से, चार पीएसईज[16] में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्त पाए गए, जबकि शेष चार पीएसईज में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का आंशिक रूप से अनुपालन किया गया था। वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य के इन पीएसईज द्वारा पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति की स्थिति ***तालिका 1.15*** में दी गई हैः–

[15] 30वीं और 31वीं कम्पनी की वार्षिक आम बैठके 20 अप्रैल 2023 को आयोजित हुई।

[16] छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड।

तालिका 1.15: वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नियुक्ति की स्थिति

क्र. सं.	राज्य के पीएसई का नाम	प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंधक और इनकी अनुपस्थिति में, एक पूर्णकालिक निदेशक	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	हॉ	हॉ	नहीं
2	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड	हॉ	हॉ	हॉ
3	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल कम्पनी लिमिटेड	नहीं	नहीं	नहीं
4	छत्तीसगढ़ सोन्धिया कोल कम्पनी लिमिटेड	हॉ	हॉ	नहीं
5	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	हॉ	हॉ	हॉ
6	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	हॉ	हॉ	हॉ
7	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	हॉ	हॉ	हॉ
8	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड	हॉ	नहीं	हॉ

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदाय किए गए ऑकड़ो एवं वित्तीय विवरणों से सूचना संकलित)

1.15 निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों की बैठक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) में, यह प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी अपने निगमन की तिथि से तीस दिनों के भीतर निदेशक मंडल (बीओडी) की पहली बैठक आयोजित करेगी और उसके बाद हर साल अपने निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस तरह आयोजित करेगी कि बोर्ड की दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य के 26 पीएसईज में से 16 पीएसईज ने आवश्यक संख्या में चार निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित नहीं कीं, जैसा कि नीचे ***तालिका 1.16*** में विस्तृत रूप से बताया गया है:

तालिका 1.16: राज्य के पीएसईज जिन्होंने वर्ष में बोर्ड बैठकों की आवश्यक संख्या आयोजित नहीं की

क्र. सं.	राज्य के पीएसई का नाम
1	छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
6	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड
7	छत्तीसगढ़ सडक एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड
8	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

क्रं. सं.	राज्य के पीएसई का नाम
9	नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड
10	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड
11	छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड
12	केरवा कोल लिमिटेड
13	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड
14	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड
15	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
16	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदाय किए गए ऑकड़ो एवं वित्तीय विवरणों से सूचना संकलित)

इसके अलावा, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य के 15 पीएसईज ने वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मंडल की दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल न रखने के प्रावधान का पालन नहीं किया। राज्य के पीएसईज के लिए निदेशक मंडल की दो लगातार बैठकों में 121–367 दिनों का अंतराल देखा गया, जैसा कि ***तालिका 1.17*** में सूचीबद्ध है।

तालिका 1.17: राज्य के पीएसईज जिन्होंने निदेशक मंडल की दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल रखा

क्रं. सं.	राज्य के पीएसई का नाम
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड
6	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
7	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड
8	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड
9	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
10	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
11	नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड
12	छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
13	छत्तीसगढ़ सोन्धिया कोल कम्पनी लिमिटेड
14	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड
15	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदाय किए गए ऑकड़ो एवं वित्तीय विवरणों से सूचना संकलित)

1.16 लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियां

1.16.1 लेखापरीक्षा समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) और कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी और सभी सार्वजनिक कंपनियों जिनकी चुकता पूँजी ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक हो, या ₹ 100 करोड़ या उससे

अधिक का टर्नओवर करने वाली, या कुल मिलाकर ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक का बकाया ऋण या उधार या डिबेंचर या जमा रखने वाली, संयुक्त उद्यम कंपनियों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को छोड़कर, के निदेशक मंडल एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करेगी।

मानदंडों के अनुसार, राज्य के 12 पीएसईज में, जिनके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता है, को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक था और उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 12 पीएसईज में से दो पीएसईज (छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड) ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था। शेष 10 पीएसईज ने 31 मार्च 2023 की स्थिति में लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया, जैसा कि नीचे दी गई ***तालिका 1.18*** में दिया गया है:

तालिका 1.18: राज्य के पीएसईज जिन्होंने लेखापरीक्षा समिति का गठन नही किया

क्रं. सं.	राज्य पीएसई का नाम
1	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड
6	छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7	छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड
8	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
9	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड
10	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदाय किए गए ऑकड़ो एवं वित्तीय विवरणों से सूचना संकलित)

इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक होंगे, जिसमें स्वतंत्र निदेशक बहुमत में होंगे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष सहित अधिकांश सदस्य वित्तीय विवरणों को पढ़ने और समझने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति होंगे।

राज्य के पीएसईज से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हालांकि जिन दो राज्य के पीएसईज में लेखापरीक्षा समिति गठित की गई थी, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अपनी लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन सदस्य रखने के मानदंड को पूरा किया था, लेकिन केवल एक (छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड) में 2022–23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक[17] थे।

1.16.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) और कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी और ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक की चुकता पूँजी वाली सभी सार्वजनिक कंपनियों का निदेशक मंडल; या ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर; या कुल मिलाकर ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक का बकाया

[17] छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक रखना आवश्यक था, लेकिन इसके बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

ऋण या उधार या डिबेंचर या जमा राशि रखने वाली सभी कंपनियों को एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करना होगा।

राज्य के पीएसईज से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य के 12 पीएसईज को नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करना आवश्यक था। केवल एक पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड) ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया था, जबकि ***तालिका 1.19*** में दिए गए 11 पीएसई ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया था।

तालिका 1.19: राज्य के पीएसईज जिनके पास नामांकन और पारिश्रमिक समिति नहीं थी

क्रं. सं.	राज्य के पीएसईज का नाम
1	छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड
6	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड
7	छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8	छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड
9	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
10	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड
11	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदाय किए गए ऑकड़ो एवं वित्तीय विवरणों से सूचना संकलित)

कम्पनी अधिनियम, 2013 में आगे यह भी प्रावधान है कि नामांकन और पारिश्रमिक समिति में तीन या उससे अधिक गैर–कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, जिनमें से स्वतंत्र निदेशक आधे से कम नहीं होने चाहिए। कम्पनी के अध्यक्ष (चाहे कार्यकारी हों या गैर–कार्यकारी) को नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वह ऐसी समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति रखने वाले एकमात्र राज्य पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उसके नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार थी।

1.17 व्हिसल ब्लोअर तंत्र

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) को कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) के नियम 7 के साथ पढ़ने पर यह प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी; वे कंपनियां जो जनता से जमा स्वीकार करती हैं; वे कंपनियां जिन्होंने बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से पचास करोड़ रुपये से अधिक का धन उधार लिया है, अपने निदेशकों और कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, संदिग्ध धोखाधड़ी या कम्पनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में वास्तविक चिंताओं और शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए एक सतर्कता तंत्र स्थापित करेंगी। यह ऐसे तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को परेशान किए जाने के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य के छह[18] पीएसईज को वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता थी। इनमें से किसी भी राज्य के पीएसईज ने सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर तंत्र स्थापित नहीं किया।

1.18 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

1.18.1 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर प्रस्तावना

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यवसाय द्वारा नैतिक रूप से व्यवहार करने और स्थानीय समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान देने की निरंतर प्रतिबद्धता है। यह स्थिरता, सामाजिक प्रभाव और नैतिकता को शामिल करके अपने हितधारकों और बड़े पैमाने पर सामान्य समुदाय के हितों को मान्यता देता है। सीएसआर की अवधारणा देने और लेने की विचारधारा पर आधारित है। कंपनियां समाज से कच्चे माल, मानव संसाधन आदि के रूप में संसाधन लेती हैं। सीएसआर गतिविधियों का कार्य करके, कंपनियां समाज को कुछ वापस दे रही हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, सीएसआर के विषय से संबंधित है और किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान नेटवर्थ, टर्नओवर और शुद्ध लाभ के आधार पर उन कंपनियों के लिए योग्यता मानदंड निर्धारित करती है, जिन्हें सीएसआर गतिविधियां करने की आवश्यकता होती है। कंपनियां अपनी सीएसआर नीतियों में जिन गतिविधियों को शामिल कर सकती हैं, उन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में सूचीबद्ध किया गया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII के प्रावधान राज्य के पीएसईज सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं और किसी भी कम्पनी के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वह पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ[19] का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों पर सालाना खर्च करे, बशर्ते वह तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती हो:

(i) ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक का नेटवर्थ है; या

(ii) ₹ 1,000 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर है; या

(iii) ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक का शुद्ध लाभ।

फरवरी 2014 में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कम्पनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 जारी किए, जो 1 अप्रैल 2014 से राज्य के पीएसईज सहित सभी कंपनियों पर लागू हुए। तदनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन सीएसआर के प्रावधानों का अनुपालन अर्थात् सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति का निर्माण और सीएसआर गतिविधियों पर निर्धारित राशि का खर्च अप्रैल, 2014 से लागू हुआ।

1.19 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

मार्च 2023 तक, राज्य के 10 पीएसईज ने सीएसआर के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा किया है। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य के 10 पीएसईज[20] द्वारा सीएसआर के

---

[18] छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड।

[19] कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना।

[20] छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड।

संबंध में मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की। सीएसआर समिति के गठन, नीति के निर्माण और अनुपालन, सीएसआर गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन तथा राज्य के पीएसईज द्वारा इसकी निगरानी और रिपोर्टिंग के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन की सीमा पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए गए हैं।

1.19.1 सीएसआर समिति का गठन और इसकी संरचना

अधिनियम की धारा 135 (1) के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी जिसकी निवल मुल्य ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक है; या ₹ 1,000 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर; या तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक का शुद्ध लाभ है, उसके बोर्ड को एक सीएसआर समिति का गठन करना होगा जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे। इसके अलावा, धारा 135 (9) के अनुसार, जहां उप–धारा (5)[21] के तहत किसी कम्पनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, सीएसआर समिति के गठन के लिए उप–धारा (1) के तहत आवश्यकता लागू नहीं होगी और इस धारा के तहत प्रदान की गई समिति के कार्य, ऐसे मामलों में, ऐसी कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य के 10 में से चार पीएसईज[22] ने सीएसआर समितियां गठित की थीं, जबकि पांच पीएसईज[23] को अधिनियम की धारा 135(9) के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सीएसआर के कारण उनकी देयता ₹ 0.50 करोड़ से कम थी। शेष एक राज्य पीएसई अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने सीएसआर समिति गठित नहीं की थी, हालांकि यह धारा 135(1) के तहत आवश्यक मानदंडों को पूरा करता था।

इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुसार, सीएसआर समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। राज्य के चार पीएसईज में जहां सीएसआर समितियां गठित की गई थीं, दो पीएसईज (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड) ने समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक रखने के नियम का पालन नहीं किया था क्योंकि उनके बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। जबकि एक पीएसई अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को एक निजी कम्पनी होने के कारण अपने बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी।

---

21 उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कम्पनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कम्पनी प्रत्येक वित्तिय वर्षो में कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती तीन वित्तिय वर्षो के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत, या ऐसे पूर्ववर्ती वित्तिय वर्षो के दौरान, जहां कम्पनी ने अपने निगमन के पश्चात तीन वित्तिय वर्षो की अवधि पूरी नहीं की हैं, अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति के अनुसरण में खर्च करें।

22 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड।

23 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड।

1.19.2 सीएसआर नीति का निर्माण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(3) के अनुसार कम्पनी की सीएसआर समिति को सीएसआर नीति तैयार करनी होगी और बोर्ड को इसकी सिफारिश करनी होगी। यह देखा गया कि राज्य के 10 पीएसई में से छह[24] ने अपनी सीएसआर नीतियां तैयार कर ली थीं, जबकि शेष चार पीएसईज (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड) के पास सीएसआर नीति नहीं थी।

1.19.3 निधियों का आवंटन और उपयोग

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के प्रावधानों के अनुसार 2022–23 के दौरान राज्य के 10 पीएसईज[25] द्वारा खर्च की जाने वाली राशि कुल मिलाकर ₹ 18.30 करोड़ है, जिसमें पिछले वर्षों से चली आ रही सीएसआर देयता के शेष ₹ 3.62 करोड़ शामिल हैं। एक राज्य पीएसईज अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जो लगातार घाटे में चल रही थी, पर 2022–23 तक किसी भी वर्ष के दौरान सीएसआर के कारण कोई देयता नहीं थी। 2022–23 के दौरान, राज्य के छः पीएसईज ने ₹ 15.95 करोड़ खर्च किए, जिससे ₹ 2.35 करोड़ की अप्रयुक्त राशि शेष रह गई, जैसा कि ***तालिका 1.20*** में विस्तृत है:

तालिका 1.20: वर्ष 2022–23 के दौरान किए गए व्यय की तुलना में सीएसआर देयता

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	राज्य के पीएसई का नाम	आगे लिये गये पूर्व वर्ष की राशि	वर्ष 2022–23 के लिए व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष 2022–23 के लिए व्यय की जाने वाली कुल आवश्यक राशि	वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर पर किया गया व्यय	वर्ष के अंत में अप्रयुक्त शेष राशि
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5–6)
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	1.40	0.54	1.94	0.83	1.11
2	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	-0.03	0.19	0.16	0.21	-0.05
3	छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41
4	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	1.37	0.53	1.90	0.44	1.46
5	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	0.98	0.41	1.39	0.00	1.39
6	छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.17	0.17	0.03	0.14

24 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड।

25 एक राज्य पीएसई अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जो लगातार हानि में चल रही थी, पर वर्ष 2022–23 तक किसी भी वर्ष के दौरान सीएसआर के कारण कोई देयता नहीं थी।

क्रं. सं.	राज्य के पीएसई का नाम	आगे लिये गये पूर्व वर्ष की राशि	वर्ष 2022–23 के लिए व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष 2022–23 के लिए व्यय की जाने वाली कुल आवश्यक राशि	वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर पर किया गया व्यय	वर्ष के अंत में अप्रयुक्त शेष राशि
7	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	0.81	10.34	11.15	13.66	-2.51
8	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	-1.72	2.23	0.51	0.78	-0.27
9	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	0.40	0.27	0.67	0.00	0.67
10	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**3.62**	**14.68**	**18.30**	**15.95**	**2.35**

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदाय किए गए ऑकड़ो एवं वित्तीय विवरणों से सूचना संकलित)

इसके अतिरिक्त, जिन राज्य के छः पीएसईज की राशि व्यय नहीं हुई थी, उनमें से केवल दो (छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड) ने अपनी व्यय न हुई सीएसआर राशि को एक अलग सीएसआर के खातें में स्थानांतरित किया। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद व्यय न हुई राशि को एक अलग सीएसआर खाते में स्थानांतरित किया।

1.19.4 सीएसआर व्यय की सीमा

वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य के नौ पीएसईज द्वारा सीएसआर के मद में व्यय की जा सकने वाली कुल राशि ₹ 18.30 करोड़ थी, जिसके विरुद्ध ये राज्य पीएसई केवल ₹ 15.95 करोड़ (87.16 प्रतिशत) ही व्यय कर सके। राज्य के नौ पीएसईज में से चार को ₹ 1.00 करोड़ से अधिक की राशि व्यय करनी थी, हालांकि, केवल एक राज्य पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड) ने 2022–23 के दौरान ₹ 1.00 करोड़ से अधिक की राशि (₹ 13.66 करोड़) व्यय की।

1.19.5 शीर्ष व्ययकर्ता

राज्य के पीएसईज द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर कुल व्यय नीचे ***चार्ट 1.3*** में दर्शाया गया है:

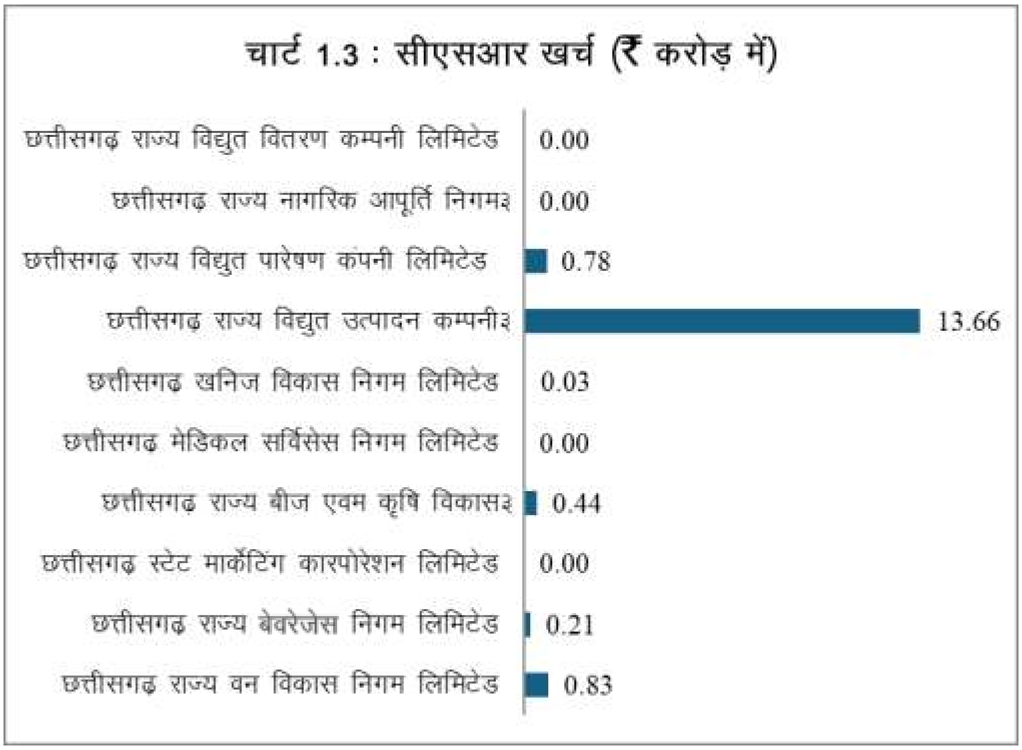

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदाय किए गए ऑकड़ो से संकलित जानकारी)

सर्वाधिक व्यय करने वाली कम्पनी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड रही, जिसने ₹ 13.66 करोड़ व्यय किए (राज्य के नौ पीएसईज द्वारा कुल सीएसआर व्यय का 85.64 प्रतिशत) तथा दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड रही, जिसने ₹ 0.83 करोड़ (5.20 प्रतिशत) व्यय किए ।

1.19.6 प्रशासनिक उपरिव्यय

सीएसआर नियम 4(6) के अनुसार, प्रशासनिक उपरिव्यय को समग्र सीएसआर निधियों के पांच प्रतिशत तक सीमित किया जाना है। अलग से बताए जाने वाले उपरिव्यय में बेसलाइन अध्ययन, क्षमता निर्माण और अन्य उपरिव्यय शामिल होने चाहिए। वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य के छह पीएसईज ने ***कंडिका 1.19.3*** में चर्चा के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर व्यय किया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि चार पीएसईज (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) द्वारा सीएसआर व्यय में प्रशासनिक उपरिव्यय की कोई राशि शामिल नहीं थी। इस संबंध में शेष दो[26] पीएसई द्वारा कोई जानकारी नहीं प्रदाय की गई।

1.19.7 सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका

कम्पनी (सीएसआर) नियम, 2014 का नियम 4 विशेष रूप से उस तरीके से संबंधित है जिससे अधिनियम की धारा 135(1) के तहत सीएसआर गतिविधि की जानी है। बोर्ड सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित सीएसआर गतिविधियों को पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी या कम्पनी द्वारा

[26] छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड।

अधिनियम की धारा 8 के तहत या अन्यथा स्थापित कम्पनी या उसकी होल्डिंग या सहायक या सहयोगी कम्पनी के माध्यम से करने का निर्णय ले सकता है।

जैसा कि ***कंडिका 1.19.3*** में चर्चा की गई है, राज्य के छह पीएसईज ने वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर गतिविधियों को लागू किया, जिनमें से तीन पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड) ने सीएसआर गतिविधियों को सीधे लागू किया, जबकि अन्य तीन पीएसईज की सीएसआर गतिविधियों को कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे ट्रस्ट, सोसायटी, सरकारी विभाग, गैर–सरकारी संगठन आदि के माध्यम से निष्पादित किया गया।

1.19.8 फोकस क्षेत्र

फोकस क्षेत्र नीचे ***चार्ट 1.4*** में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.4 : क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (प्रतिशत में)

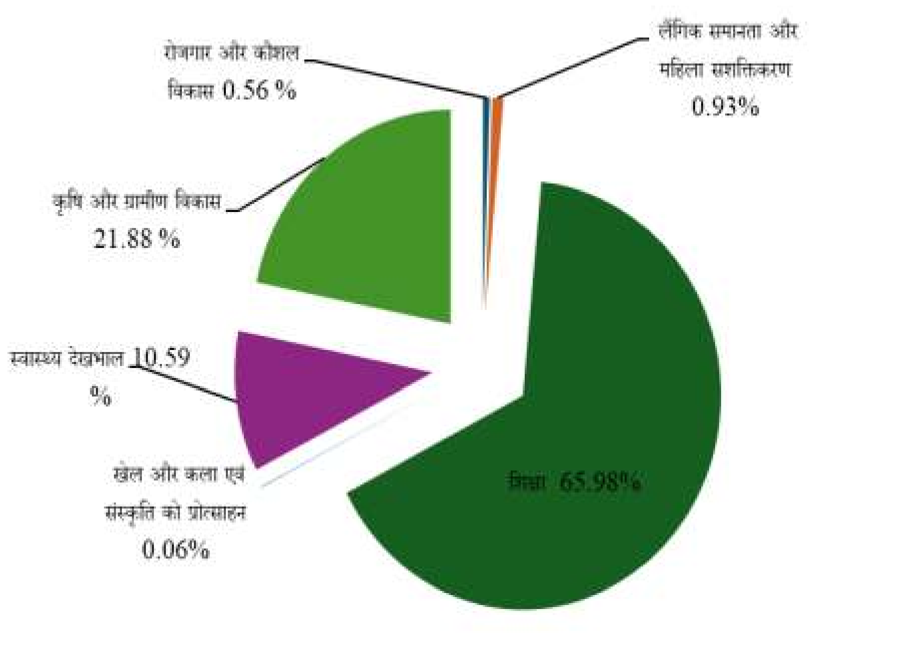

(स्त्रोतः राज्य के पीएसईज द्वारा प्रदाय किए गए ऑकड़ो से संकलित जानकारी)

जैसा कि ऊपर बताया गया है, शिक्षा क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया (65.98 प्रतिशत)। इस मद में कुल व्यय ₹ 10.53 करोड़ था। अगला सबसे अधिक व्यय (₹ 3.49 करोड़) कृषि और ग्रामीण विकास में हुआ, जो 21.88 प्रतिशत था।

1.19.9 जिलावार सीएसआर व्यय

राज्य के दो पीएसईज (छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड) ने राज्य के एक से अधिक जिलों में सीएसआर गतिविधियाँ की थीं। 31 मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ में 33 जिले थे, जिनमें से 11 जिलों में सीएसआर गतिविधियाँ की गईं, हालाँकि 10 में से राज्य के छह पीएसईज के राज्य के सभी जिलों में कार्यालय/गतिविधियाँ थीं। इसके अलावा, कुल सीएसआर व्यय का बड़ा हिस्सा

(89.21 प्रतिशत) तीन जिलों (महासमुंद ₹ 5.31 करोड़, कोरबा ₹ 5.13 करोड़ और रायगढ़ ₹ 3.80 करोड़) में केंद्रित था।

1.19.10 निगरानी संरचना

सीएसआर नियम, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार, सीएसआर समिति कम्पनी द्वारा किए गए सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करेगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य के सभी छह पीएसईज, जिन्होंने अपनी सीएसआर नीतियां तैयार की थीं, ने नीति में निगरानी तंत्र को निर्दिष्ट किया था। इसके अलावा, कम्पनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8(3) में निम्नलिखित वर्ग की कंपनियों को प्रभाव आंकलन करने का आदेश दिया गया हैः (i) तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम औसत सीएसआर दायित्व ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक वाली कंपनियों; और (ii) ऐसी कंपनियां जिनके पास न्यूनतम ₹ 1.00 करोड़ के परिव्यय वाली सीएसआर परियोजनाएं हैं और जो प्रभाव आकलन करने से एक वर्ष से कम समय पहले पूरी नहीं हुई हैं। प्रभाव आकलन केवल उन मामलों में परियोजनावार किया जाएगा जहां उपर्युक्त दोनों शर्तें पूरी होती हैं। अन्य मामलों में, कम्पनी इसे स्वैच्छिक आधार पर ले सकती है।

वर्ष 2022–23 में, राज्य के एक पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड), जिसे अपनी पूर्ण हो चुकी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन करना था, ने प्रभाव आंकलन नहीं किया।

1.19.11 रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (2) और (4) के साथ धारा 134 (3) (ओ) के अनुसार, किसी कम्पनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल करना और उसे आधिकारिक वेबसाइट पर डालना आवश्यक है। कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित को प्रकट करना होगाः

- सीएसआर नीति की सामग्री, सीएसआर नीति का वेब लिंक, औसत शुद्ध लाभ, सीएसआर समिति की संरचना, प्रशासनिक उपरिव्यय, निर्धारित राशि, व्यय न हुई राशि, व्यय न हुई राशि के कारण को प्रकट करना।
- सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कम्पनी के सीएसआर उद्देश्य और नीति के अनुपालन में थी बताते हुए सीएसआर समिति द्वारा हस्ताक्षरित एक जिम्मेदारी कथन शामिल करें।

यह देखा गया कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) में सीएसआर के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले राज्य के 10 पीएसईज में से आठ ने अपनी नवीनतम अंतिम बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर नीति, सीएसआर नीति का वेब लिंक, औसत शुद्ध लाभ, सीएसआर समिति की संरचना, प्रशासनिक उपरिव्यय, निर्धारित राशि, व्यय न हुई राशि, व्यय न हुई राशि के कारण इत्यादि के बारे में प्रकटीकरण किया है। शेष दो पीएसई (छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड) ने नवीनतम अंतिम बोर्ड रिपोर्ट में अपेक्षित जानकारी का प्रकटीकरण नहीं किया है। इसके अलावा, राज्य के सभी 10 पीएसईज के मामले में सीएसआर समिति द्वारा हस्ताक्षरित उत्तरदायित्व कथन को नवीनतम अंतिम बोर्ड रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार किसी भी राज्य पीएसई ने रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन नही किया।

1.20 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 की स्थिति में, एक वैधानिक निगम सहित राज्य में 28 पीएसईज थे। इन 28 में से, दो निष्क्रिय पीएसईज हैं। राज्य के 26 कार्यरत पीएसईज में से, केवल 20 पीएसईज (19 कंपनियाँ और एक वैधानिक निगम) पर वित्तीय प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण के लिए विचार किया गया है, जिनके लेखें 30 सितंबर 2023 तक दो या उससे कम वर्षों के लिए बकाया थे।

2022–23 के दौरान, राज्य के इन 20 पीएसईज ने ₹ 42,172.73 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया, जो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के 9.22 प्रतिशत के बराबर था। 2022–23 के दौरान राज्य के पीएसईज के कुल टर्नओवर में अकेले विद्युत क्षेत्र के राज्य पीएसई का योगदान 66.51 प्रतिशत से अधिक है।

31 मार्च 2023 के अंत में राज्य के 28 पीएसईज में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋणों में निवेश ₹ 20,961.61 करोड़ था। वर्ष 2020–21 से 2022–23 के दौरान राज्य के इन पीएसईज की बकाया दीर्घकालिक ऋण ₹ 13,865.19 करोड़ से बढ़कर ₹ 13,877.90 करोड़ हो गयी।

राज्य के 20 पीएसईज में से 10 के द्वारा वर्ष 2022–23 में अर्जित लाभ ₹ 879.22 करोड़ था, जबकि वर्ष 2021–22 में राज्य के 10 पीएसईज ने ₹ 863.06 करोड़ का लाभ अर्जित किया। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹ 570.38 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (₹ 109.89 करोड़) और छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (₹ 71.20 करोड़) ने लाभ में प्रमुख योगदान दिया। राज्य के सात पीएसईज द्वारा किए गए कुल ₹ 1,143.10 करोड़ के नुकसान में से, सर्वाधिक नुकसान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1,132.72 करोड़) को हुआ।

वर्ष 2022–23 के लिए राज्य के 28 पीएसईज में से 25 पीएसईज के लेखें विभिन्न कारणों से बकाया थे (24 सरकारी कंपनियाँ, एक वैधानिक निगम)। राज्य के पीएसईज जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय–सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, राज्य के 25 पीएसईज के 47 लेखें बकाया थे। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त राज्य के 13 पीएसईज के 14 वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की गई और वित्तीय विवरणों में वित्तीय अशुद्धियों को उजागर करने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले ₹ 1,194.79 करोड़ और परिसंपत्तियों/देनदारियों पर ₹ 1,231.80 करोड़ थीं।

समीक्षा की गई राज्य के 26 पीएसई में से, 25 सार्वजनिक कंपनियाँ थीं, जिनमें से राज्य के 12 पीएसईज को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करनी थी, हालाँकि, केवल एक पीएसई ने अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, आठ पीएसईज को महिला निदेशकों की नियुक्ति करनी थी, जिनमें से छह पीएसईज के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक थी।

अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत, 26 में से 16 पीएसईज ने अपने निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें आयोजित नहीं कीं। इसके अलावा, राज्य के 15 पीएसईज के मामले में दो लगातार बैठकों के बीच की अवधि 120 दिनों से अधिक थी, जो 121 से 367 दिनों के बीच थी।

राज्य के 26 पीएसईज में से 12 पीएसईज को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना था; हालाँकि, केवल दो पीएसईज में लेखापरीक्षा समितियाँ थीं। छह पीएसईज में कोई व्हिसल ब्लोअर/सतर्कता तंत्र स्थापित नहीं किया गया था, जिन्हें इस प्रावधान का अनुपालन करना आवश्यक था।

वर्ष 2022–23 के दौरान, एक पीएसई द्वारा सीएसआर समिति का गठन नहीं किया गया, जबकि राज्य के चार पीएसईज द्वारा सीएसआर नीति तैयार नहीं की गई। राज्य के नौ पीएसईज में से जिन्हें सीएसआर गतिविधियाँ करने की आवश्यकता थी, केवल छह ने अनुपालन किया। सीएसआर व्यय का फोकस क्षेत्र मुख्य रूप से शिक्षा को बढ़ावा देने (65.98 प्रतिशत) पर था। खेल, कला और संस्कृति, रोजगार और कौशल विकास, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण स्थिरता के क्षेत्रों पर कम ध्यान दिया गया। राज्य के 33 जिलों में से 11 में ही सीएसआर व्यय किया गया, जिसमें से व्यय का बड़ा हिस्सा (89.21 प्रतिशत) तीन जिलों में किया गया।

1.21 अनुशंसाएँ

राज्य सरकार

1. ***सभी हानि में चल रहे/ राज्य के निष्क्रिय पीएसईज के कार्य की समीक्षा कर सकती है, और उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार/समापन के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।***
2. ***लेखों को अंतिमिकृत करने और बकाया के निपटान के लिए लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रशासनिक विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।***
3. ***लाभ कमाने वाले राज्य के पीएसईज के लिए लाभांश नीति तैयार कर सकती है।***
4. ***राज्य के पीएसईज द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आवश्यकताओं के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकती है।***